न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
मिसल न0– 14 / 2024
अनवान :–

1. धुनीलाल पुत्र मनफुल जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।

सायल

बनाम्

1. मांगेलाल पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

असल गैरसायल

3. ओमप्रकाश पुत्र मनफुल जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. भूपसिह पुत्र मनफुल जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. महावीर प्रसाद पुत्र मनफुल जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
6. रामकिशन पुत्र मनफुल जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
7. वेदप्रकाश पुत्र मनफुल जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।

तरतीबी गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0 काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी, अभिभाषक सायल
श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता गेरसायल

निर्णय दिनांक : –24/12/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की रोही मौजा चक 2 जेएसएन के खाता संख्या 8 / 57 के प0न0 366 / 371(44) के किला न0 16, 22 ता 25 / 1.2650हैक , प0न0 366 / 372(51) किला न0 2 ता 5 ,7 ,8 ,13 ,14 / 2.0240हैक प0न0 367 / 371(45) के किला न0 21 / .2530हैक प0न0 367 / 372(50) के किला न0 0.2530हैक कुल योग 3.7950हैक स्थित है जिसके सायल व गेरसायल संख्या 3 ता 7 मुश्तरका खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा चक 2 जेएसएन के खाता संख्या 54 / 51 के प0न0 366 / 372(51) के किला न0 17 ,24 / 0.5060हैक भूमि जिसके गैरसायल संख्या 1 खातेदार काश्तकार है।

सायल व गेरसायल के खेत / भूमि एक दुसरे के चिपते हुए खातेदार काश्तकार है सायल फेफाना से चलकर स्वीकृत शुद्वा रास्ता से होने हुए गैरसायल के खेत रोही मौजा चक 2 जेएसएन के खाता संख्या 54 / 51 के प0न0 366 / 372(51) के किला न0 17 ,24 के पश्चिमी तरफ से उतर से दक्षिण में चलकर अपने खेत के किला न0 14 में प्रवेश कर जाता हे यही रास्ता सबसे नजदीकी एवं सुविधाजनक रास्ता है।

उक्त रास्ता के अलख सायल के अपने खेत में जाने के लिए कोई रास्ता नही है उक्त रास्ता सदामत से चालू है तथा उक्त रास्ता से अवागमन होता आ रहा है लेकन रास्ता स्वीकृत नही होने के कारण भविष्य में आवागमन में बाधा उत्पन्न हो सकती है इसलिये सायल उक्त रास्ता को स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 2 जेएसएन के खाता संख्या 54 / 51 के प0न0 366 / 372(51) किला न0 17 ,24 के पश्चिम तरफ उतर से दक्षिण तरफ एक – एक गठठा रास्ता स्वीकृत फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.27 13:56:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सायलान का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गेरसायल को जरिये सम्मन तलब किया गया गेरसायल संख्या 3 ता 7 का अनुतोष सायल के अनुतोष में निहित होने के कारण तलबी की आवश्यकता नही असल गेरसायलान संख्या 1 को जरिये सम्मन /नोटिस तलब किया गया गेरसायल संख्या 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की

सायल ने जिस रास्ते को चालू होने का कथन किया है वह अस्वीकार है उक्त कृषि भूमि में कभी कोई रास्ता चालू नही रहा है ना ही वर्तमान मे ंचालू है सायल स्वय के परिवार के सगे भाई /चाचा की भूमि खाता संख्या 65/64 के प0न0 367/372(50) के किला न0 21 ,22 के मिन पश्चिम से होकर 20 के पश्चिमी दक्षिणी कोणा मे से होकर किला न0 15 के मिन दक्षिण से अपने किला न0 14 में प्रवेश कर सेता हे परन्तु सायल ने उक्त तथ्य को छुपाकर गैरसायल व गैरसायल के चाचा के बिच में से रास्ता चाहा जा रहा है।

सायल के परिवार की भूमि में आवागमन का रास्ता है जिससे आवागमन करते आ रहे ळे परिवारिक भूमि होने के कारण कोई विवाद भी नही है वरवक्त आवंटन/विभाजन करवाने के बाद खाता संख्या 8 जो की सायल का है व खाता संख्या 64/64 जो की सायल के सगे चाचा के नाम दर्ज है के किला न0 22 ,23 मजुदशुद्वा रासता पर लगते है और उसी से होकर आवागमन करते आ रहे है मौका रिपोर्ट में भी वैकल्पीक रास्ता अंकित किया गया है।

सायल अपने परिवार की भूमि में से होकर आवागमन करता आ रहा है सायल अपने भाईयो/चाचा की भूमि जो खाता विभाजन होने पर सायल व उसके चाचा को मिली है में से ही आवागमन करता आ रहा है वही रास्ता स्वीकार करवाने का अधिकारी है गैरसायल संख्या 1 की भूमि में कभी भी कोई रास्ता नही रहा है ना ही वर्तमान मे ंचालू है ना ही सायल गैरसायल संख्या 1 की भूमि में से रास्ता स्वीकार करवाने का अधिकारी हे सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

गैरसायल संख्या 1 का जबाब पेश होने पर शामिल मिसल किया गया मौका रिपोर्ट/नजरीय नक्शा प्राप्त होने पर शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायल एव गैरसायल संख्या 1 आपस मे ंचिपते हुए खातेदार काश्तकार है सायल को अपनी खातेदारी भूमि मे जाने के लिये कोई भी स्वीकृत रास्ता नही हे सायल अपनी खातेदारी भूमि में सायल फेफाना से चलकर स्वीकृत शुद्वा रास्ता से होने हुए गैरसायल के खेत रोही मौजा चक 2 जेएसएन के खाता संख्या 54/51 के प0न0 366/372(51) के किला न0 17 ,24 के पश्चिमी तरफ से उतर से दक्षिण में चलकर अपने खेत के किला न0 14 में प्रवेश कर जाता हे यही रास्ता सबसे नजदीकी एवं सुविधाजनक रास्ता है।

उक्त रास्ता के अलख सायल के अपने खेत में जाने के लिए कोई रास्ता नही है उक्त रास्ता सदामत से चूाल है तथा उक्त रास्ता से अवागमन होता आ रहा है लेकन रास्ता स्वीकृत नही होने के कारण किसी भी समयम आवागमन में बाधा उत्पन्न हो सकती है इसलिये सायल उक्त रास्ता को स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

गैरसायल संख्या 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायल ने जिस रास्ते को चालू होने का कथन किया है वह अस्वीकार है उक्त कृषि भूमि में कभी कोई रास्ता चालू नही रहा है ना ही वर्तमान मे ंचालू है सायल स्वय के परिवार के सगे भाई /चाचा की भूमि खाता संख्या 65/64 के प0न0 367/372(50) के किला न0 21 ,22 के मिन पश्चिम

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.27 13:56:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

से होकर 20 के पश्चिमी दक्षिणी कोणा मे से होकर किला न0 15 के मिन दक्षिण से अपने किला न0 14 में प्रवेश कर सकता हे परन्तु सायल ने उक्त तथ्य को छुपाकर गैरसायल व गैरसायल के चाचा के बिच में से रास्ता चाहा जा रहा है।

सायल के परिवार की भूमि में आवागमन का रास्ता है जिससे आवागमन करते आ रहे ळे परिवारिक भूमि होने के कारण कोई विवाद भी नही है वरवक्त आवंटन/विभाजन करवाने के बाद खाता संख्या 8 जो की सायल का है व खाता संख्या 64/64 जो की सायल के सगे चाचा के नाम दर्ज है के किला न0 22 ,23 मजुदशुद्वा रासता पर लगते है और उसी से होकर आवागमन करते आ रहे है मौका रिपोर्ट में भी वैकल्पीक रास्ता अंकित किया गया है।

सायल अपने परिवार की भूमि में से होकर आवागमन करता आ रहा है सायल अपने भाईयो/चाचा की भूमि जो खाता विभाजन होने पर सायल व उसके चाचा को मिली है में से ही आवागमन करता आ रहा है वही रास्ता स्वीकार करवाने का अधिकारी है गैरसायल संख्या 1 की भूमि में कभी भी कोई रास्ता नही रहा है ना ही वर्तमान मे चालू है ना ही सायल गैरसायल संख्या 1 की भूमि में से रास्ता स्वीकार करवाने का अधिकारी हे सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात पर मनन किया पत्रवाली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार

रोही मौजा चक 2 जेएसएन के खाता संख्या 8/57 के प0न0 366/371(44) के किला न0 16, 22 ता 25 /1.2650हैक , प0न0 366/372(51) किला न0 2 ता 5 ,7 ,8 ,13 ,14 /2.0240हैक प0न0 367/371(45) के किला न0 21/.2530हैक प0न0 367/372(50) के किला न0 0.2530हैक कुल योग 3.7950हैक स्थित है जिसके सायल व गेरसायल संख्या 3 ता 7 मुश्तरका खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा चक 2 जेएसएन के खाता संख्या 54/51 के प0न0 366/372(51) के किला न0 17 ,24/0.5060हैक भूमि जिसके गैरसायल संख्या 1 खातेदार काश्तकार है।

सायल का कथन है कि रोही मौजा चक 2 जेएसएन के खाता संख्या 54/51 के प0न0 366/372(51) किला न0 17 ,24 में पश्चिम तरफ उतर से दक्षिण तरफ एक – एक गठठा रास्ता स्वीकृत फरमावे।

गैरसायल संख्या 1 ने उक्त रास्ता का विरोध कर निवेदन किया की सायल को उसके भाईयो /चाचा परिवार की भूमि जो खाता विभाजन उपरान्त प्राप्त हुई है जिससे वह वर्तमान मे आवागमन कर रहा है जो खाता संख्या 65/64 के प0न0 367/372(50) के किला न0 21 ,22 के मिन पश्चिम से होकर 20 के पश्चिमी दक्षिणी कोणा मे से होकर किला न0 15 के मिन दक्षिण से अपने किला न0 14 में प्रवेश कर सकता है अर्थात सायल को अपने परिवार की भूमि में से रास्ता उपलब्ध है सायल गैरसायल संख्या 1 की भूमि में से रास्ता पाने का अधिकारी नही है मौका रिपोर्ट में भी उक्त वैकल्पिक रास्ता का विवरण अंकित किया गया है।

गैरसायल संख्या 1 का विरोध /कथन स्वीकार योग्य नही है क्योकि सायल से अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये स्वीकृतशुद्वा रास्ता से गैरसायल संख्या 1 के दो किलो में से एक एक गठठा रास्ता चाहा गया है जो उचित प्रतीत होता है जबकि गेरसायल के द्वारा बताया गया रास्ता तीन किलों से अधिक किलों की दुरी पर है जब छोटा रास्ता उपलब्ध है एव सीधा स्वीकृत रास्ता को जोडता है तो अधिक दुरी का रास्ता दिया जाना न्यायोचित नही है।

तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट /नजरीय नक्शा के अनुसार छः माह तक प0न0 366/372(51) के किला न0 17 ,24 के पश्चिमी तरफ से दक्षिण की उत्तर की और से आवागमन करते थे किन्तु वर्तमान में बन्द है तथा उक्त रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.27 13:36:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

..3

कटानी रास्ता से दो किला की दुरी पर है तथा सायल की भूमि के सबसे नजदीकी रास्ता प0न0 366/372(51) किला न0 17 ,24 के पश्चिम तरफ है।

तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट/नजरीय नक्शा के अनुसार सायल जो रास्ता चाहा जा रहा है वह कटानी /स्वीकृत रास्ता से दो किला की दुरी पर है जो पूर्व में चालू भी था तथा कटानी रास्ता से सबसे छोटा एव नजदीकी रास्ता भी है।

गैरसायल का कथन है उसे अपने परिवार की भूमि में से रास्ता उपलब्ध है गैरसायल का कथन स्वीकार योग्य नही है क्योकि गैरसायल के द्वारा बताया गया रास्ता तीन किलो से अधिक दुरी पर है जो मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक के तौर पर अंकित भी किया गया था मौका रिपोर्ट में मुख्य रास्ता गैरसायल संख्या 1 की भूमि में से न्यायोचित है।

सायल के द्वारा गैरसायल संख्या 1 की भूमि में से चाहा गया रास्ता सबसे नजरीकी एवं स्वीकृत रास्ता को जोडने वाला चाहा गया है जो न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता मौका रिपोर्ट एव नजरीय नक्शा के अनुसार उचित प्रतीत होता है तथा किसी भी काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में आवागमन करने के लिये रास्ता दिया जाना विधिसम्मत एव न्यायोचित है ताकि खातेदार के हकों को सुरक्षा हो सके।

तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट/नजरीय नक्शा के अनुसार सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता विधिसम्मत है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 2 जेएसएन के खाता संख्या 54/51 के प0न0 366/372(51) के किला न0 17 ,24 में पश्चिम तरफ उतर से दक्षिण की तरफ एक-एक गठठा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा रास्ता के जितनी भूमि आती है उतनी भूमि सायल अपनी खातेदारी भूमि जो गैरसायल संख्या 1 की खातेदारी भूमि के चिपते हुए है में से देगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे इसी आश्य का आदेश तहसीलदार नोहर को जारी किया जावे । पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 24/12/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.27 13:56:13 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

क्रमांक : राजस्व/2024/1237 दिनांक 24/12/24

तहसीलदार,
नोहर

विषय :– स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के सम्बध में प्रार्थना–पत्र सं0 14/2024 निर्णय दिनांक

अनवान :–

1. धुनीलाल पुत्र मनफुल जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।

सायल

बनाम्

1 मांगेलाल पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

असल गैरसायल

3. ओमप्रकाश पुत्र मनफुल जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. भूपसिह पुत्र मनफुल जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. महावीर प्रसाद पुत्र मनफुल जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
6. रामकिशन पुत्र मनफुल जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।
7. वेदप्रकाश पुत्र मनफुल जाति मेधवाल निवासी फेफाना तहसील नोहर।

तरतीबी गैरसायलान

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आदेश दिया गया है कि रोही मौजा चक 2 जेएसएन के खाता संख्या 54/51 के प0न0 366/372(51) के किला न0 17 ,24 में पश्चिम तरफ उतर से दक्षिण की तरफ एक–एक गठठा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा रास्ता के जितनी भूमि आती है उतनी भूमि सायल अपनी खातेदारी भूमि जो गैरसायल संख्या 1 की खातेदारी भूमि के चिपते हुए है में से देगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
(राजस्व) नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.27 13:56:13 IST
Reason: SelfAttested